



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2003/श्रावण 17, 1925

No. 381]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2003/SRAVANA 17, 1925

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 646(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम, 2003 है.
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- 2 परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;
 - (ख) "दावा अधिकरण" से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;
 - (ग) "डायरी" से ऐसी स्टेशन डायरी अभिप्रेत है जो स्टेशन पर घटी दैनिक घटनाओं को अभिलिखित करने के लिए स्टेशन अधीक्षक द्वारा रखी जाती है;
 - (घ) "प्रभागीय कार्यालय" से आंचलिक रेल का प्रभागीय मुख्यालय अभिप्रेत है;
 - (ङ) "प्रभागीय रेल प्रबंधक" से प्रभागीय कार्यालय का प्रशासनिक भारसाधक अभिप्रेत है;

- (च) "प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त" से प्रभागीय कार्यालय के बल का प्रशासनिक भारसाधक अभिप्रेत है;
 - (छ) "बल" से रेल संरक्षण बल अभिप्रेत है;
 - (ज) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (झ) "मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट" से पुलिस द्वारा तैयार की गई घटना के व्यौरों से युक्त रिपोर्ट अभिप्रेत है;
 - (ञ) "जामा तलाशी" से अनपेक्षित घटना से प्रभावित व्यक्ति के किसी मालअसबाब को बसूली के बारे में रिपोर्ट अभिप्रेत है;
 - (ट) "पुलिस" से राज्य पुलिस अभिप्रेत है;
 - (ठ) "स्टेशन अधीक्षक" के अंतर्गत उप स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर या स्टेशन का भारसाधक अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ड) "पर्यवेक्षक" से गार्ड या चालक या गाड़ी टिकट परीक्षक बुकिंग कार्यालय का भारसाधक पदधारी अभिप्रेत है;
 - (ढ) "तकनीकी सर्वेक्षण" से स्टेशन अधीक्षक या अन्य पदधारी, जो रेलवे स्टेशन का भारसाधक है, द्वारा नामनिर्देशित रेल पदधारियों के किसी दल द्वारा किया गया सर्वेक्षण अभिप्रेत है;
 - (ण) "अनपेक्षित घटना" से अधिनियम की धारा 123 के खंड (ग) के अधीन परिभाषित कोई घटना अभिप्रेत है; और
 - (त) "आंचलिक रेल" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित कोई आंचलिक रेल अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं; और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है।

3. अनपेक्षित घटना के बारे में रिपोर्ट - कोई रेल सेवक, जिसके अंतर्गत गाड़ी का गाई और चालक भी हैं, अनपेक्षित घटना के घटने की जानकारी मिलने पर, निकटतम स्टेशन अधीक्षक को तत्काल घटना की रिपोर्ट करेगा।

4. गाई, चालक और गाड़ी टिकट परीक्षक के कर्तव्य - कोई गाई या चालक या गाड़ी टिकट परीक्षक जो अनपेक्षित घटना के घटने के समय ड्यूटी पर है -

- (i) आहत यात्रियों की चिकित्सीय सहायता के लिए तत्काल इंतजाम करेगा, और
- (ii) पर्यवेक्षक को प्ररूप-1 में ऐसी घटना के घटने की रिपोर्ट करेगा।

5. पर्यवेक्षक के कर्तव्य - प्ररूप-1 में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, पर्यवेक्षक उसे प्रभागीय रेल प्रबंधक को भेजेगा।

6. स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य - स्टेशन अधीक्षक, नियम 3 के अधीन किसी अनपेक्षित घटना के घटने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर:-

- (i) स्टेशन डायरी में इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियां करेगा;
- (ii) आहत यात्रियों की चिकित्सीय सहायता के लिए इंतजाम करेगा;
- (iii) अनपेक्षित घटना के स्थल की बाबत संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां प्रभागीय कार्यालय, आंचलिक रेल, पुलिस तथा बल के भारसाधक को भेजेगा;
- (iv) स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अनपेक्षित घटना का तकनीकी सर्वेक्षण करेगा या कराएगा; और
- (v) अन्वेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बल की सहायता करने के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करेगा।

7. बल द्वारा अन्वेषण किया जाना और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना - (1) नियम 6 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, बल का अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, अन्वेषण करेगा और

- (i) घटना का अन्वेषण करने वाली पुलिस से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव-परीक्षण रिपोर्ट और जामा तलाशी रिपोर्ट की प्रतियां अभिप्राप्त करेगा;

- (ii) स्टेशन अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट रेल पदधारी द्वारा किए गए तकनीकी सर्वेक्षण की प्रति अभिप्राप्त करेगा;
- (iii) अनपेक्षित घटना के बारे में प्ररूप-2 में सूचना अभिप्राप्त करेगा;
- (iv) अतिरिक्त साक्षियों के कथन यदि ऐसा अपेक्षित हो तो अभिलिखित करेगा;
- (v) मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य साक्ष्य एकत्रित करेगा.

(2) बल का अधिकारी, अन्वेषण पूरा हो जाने पर नियम 10 के उप नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

8. पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाना और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना: (1) पुलिस, नियम 6 के खंड (iii) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, तत्काल अन्वेषण आरंभ करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या क्षति रिपोर्ट तैयार करेगी.

(2) पुलिस, उप-नियम (1) में यथावर्णित रिपोर्ट तैयार हो जाने के पश्चात् घटना स्थल से गाड़ियों के संचलन के लिए तत्काल निकासी प्रमाण पत्र देगी ताकि गाड़ी संचलन के पुनःस्थापन में न्यूनतम निरंतर हो.

9. आहत और मृत यात्री के निकट संबंधी पुलिस और बल को साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे और इनकी सहायता कर सकेंगे : आहत और मृत यात्रियों के निकट संबंधी पुलिस के समक्ष सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे और अन्वेषण को पूरा करने में पुलिस तथा बल की सहायता कर सकेंगे.

10. पुलिस और बल द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट भेजना:- (1) अन्वेषण पूरा हो जाने पर, पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथापेक्षित मजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट भेजेगी.

(2) बल का अधिकारी नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट प्रभागीय रेल प्रबंधक और बल के प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा.

11. प्रभागीय रेल प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई :-

(1) प्रभागीय रेल प्रबंधक, रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल उसकी जांच करेगा.

(2) जब, जांच किए जाने पर, प्रभागीय रेल प्रबंधक का यह समाधान हो जाता है कि अन्वेषण पूरा हो गया है तब वह उक्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुए आदेश पारित करेगा।

(3) यदि प्रभागीय रेल प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मामले में कुछ और जांच अपेक्षित है तो वह उसे और अन्वेषण के लिए अपने सप्रेक्षकों सहित बल के अधिकारी को अन्वेषण के लिए इसे वापस निर्दिष्ट करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन किसी निर्देश के प्राप्त होने पर, बल का अधिकारी मामले का और अन्वेषण करेगा तथा प्रभागीय रेल प्रबंधक को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. आदेश की संसूचना : प्रभागीय रेल प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट पर पारित अंतिम आदेश स्टेशन अधीक्षक को संसूचित किए जाएंगे जो अभिलेख रखेगा और स्टेशन डायरी में इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

13. प्रभागीय रेल प्रबंधक के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट का रखा जाना : रेल प्रशासन द्वारा, अन्वेषण रिपोर्ट, उस पर प्रभागीय रेल प्रबंधक की टीका-टिप्पणियों सहित ऐसे मामले में, जिसमें ऐसी अनपेक्षित घटना के आधार पर प्रतिकर का दावा किया गया है, लिखित कथन फाइल करते समय दावा अधिकरण के समक्ष रखी जाएगी।

[सं. 2001/टीसी- III/26/45/आर सी]

पद्माक्षी रहेजा, कार्यकारी निदेशक, लोक शिकायत (रेलवे बोर्ड)

प्ररूप-1

(नियम 4 देखिए)

अनपेक्षित घटना की रिपोर्ट

1. किलोमीटर जिस पर अनपेक्षित घटना घटी:
2. गाड़ी चालक का नाम, मुख्यालय सहित :
3. गाड़ी के गार्ड का नाम, मुख्यालय सहित:
4. गाड़ी के, यदि तैनात हो, गाड़ी टिकट परीक्षक का नाम, मुख्यालय सहित;

5. अनपेक्षित घटना का नाम;
 - (क) दुर्घटनावश पटरी से उतरना.
 - (ख) बम विस्फोट
 - (ग) बल्वा/गोली चलना.
 - (घ) अन्य
6. घटना घटने का समय:
7. रेलपथ के सापेक्ष मानव-शरीर की स्थिति :
8. क्या आहत व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता दी गई थी :
9. क्या गाड़ी रोक दी गई थी या नहीं :
10. दरवाजों की दशा तथा कोच का अधियोग:

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तारीख :

प्ररूप-2

(नियम 7 देखिए)

अनपेक्षित घटना की संक्षिप्त विशिष्टियां

1. मृत्यु की दशा में :
 - (क) वह समय और स्थान जब और जहां शव का पता लगा:
 - (ख) रेलपथ के सापेक्ष शव की स्थिति:
 - (ग) गिट्टी या इंजन पर रक्त के धब्बे, क्षतियों का परिमाण और क्या प्रथम दृष्टया गाड़ी द्वारा पहुंचायी गई या अन्यथा :
 - (घ) पटरी पर या उसके निकट पायी गयी किसी वस्त्र आदि की स्थिति:
 - (ङ) सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और पता:

2. दुर्घटनावश पटरी से उतरने या अन्य अनपेक्षित घटनाओं की दशा में:

- (क) किलोमीटर दूरी जिस पर यात्री गिरा था या व्यक्ति टकराया था :
- (ख) क्या घटना गार्ड/चालक/गाड़ी टिकट परीक्षक द्वारा देखी गई थी और गाड़ी रोकी गई थी या गाड़ी रोकने के लिए अलार्म जंजीर खींची गई थी :
- (ग) क्या गाड़ी घटना स्थल पर वापस लाई गई थी:
- (घ) आहत अथवा मृत व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया गया :

3. यात्री के बाहर गिरने की दशा में:

- (क) धारित टिकट, यदि कोई हो, कि विशिष्टियों सहित, यात्री का नाम, आयु, लिंग और पता:
 - (ख) यदि बालक है, तो उस समय उसके संरक्षक का नाम और पता, तथा बालक के साथ उसकी नातेदारी बताएं :
 - (ग) सहयात्रियों द्वारा जब अंतिम बार देखा गया उस समय व्यक्ति अथवा बालक कहां बैठा अथवा खड़ा हुआ था :
 - (घ) रेल का स्वामी, पेंट किया गया नंबर, कंपार्टमेंट नंबर, प्रकार वर्णन तथा इंजन से डिब्बे की स्थिति :
 - (ङ) दरवाजों की स्थिति :
 - (च) रेलगाड़ी पर बल का अधिकारी:
 - (छ) आहत व्यक्ति का संक्षिप्त कथन जिसमें दुर्घटना का कारण भी हो:
 - (ज) उस यात्री का नाम और हस्ताक्षर जिसकी उपस्थिति में कथन अभिलिखित किया गया है:
 - (झ) बालक की दशा में संरक्षक का नाम और उसके हस्ताक्षर :
 - (ञ) सहयात्रियों के कथन :
 - (ट) आहत व्यक्ति की हुई क्षति का प्रकार :
- जैसे अस्थायी, स्थायी, आंशिक या पूर्ण निःशक्तता.

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तारीख :

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2003

G.S.R. 646(E).— In exercise of the powers conferred by section 129 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement** -- (1) These rules may be called the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);
 - (b) 'Claims Tribunal' means Tribunal constituted under the Railway Claims Tribunal Act, 1987;
 - (c) 'diary' means the station diary being maintained by the Station Superintendent for recording daily events happened at the station;
 - (d) 'Divisional Office' means the divisional headquarter of the Zonal Railway;
 - (e) 'Divisional Railway Manager' means the administrative in-charge of the divisional office;

- (f) 'Divisional Security Commissioner' means administrative in-charge of the force of Divisional Office;
- (g) 'Force' means the Railway Protection Force;
- (h) 'Form' means the Form appended to these rules;
- (i) 'Inquest Report' means the report prepared by the police containing details of incident;
- (j) 'Jama Talashi' means the report about the recovery of any belongings of the person affected by the untoward incident;
- (k) 'Police' means a State Police;
- (l) 'Station Superintendent' includes Deputy Station Superintendent, Station Master and Assistant Station Master or other officer being in-charge of the station;
- (m) 'Supervisor' means official-in-charge of the guard or driver or Train Ticket Examiner booking office;
- (n) 'Technical Survey' means survey carried out by a team of railway officials nominated by the Station Superintendent or any other official being in charge of railway station;
- (o) 'untoward incident' means an incident defined under clause (c) of section 123 of the Act; and
- (p) 'Zonal Railway' means a zonal railway constituted under section 3 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

22536/03-2.

3. Report about untoward incident .- Any railway servant, including guard and driver of the train, on coming to know of the occurrence of an untoward incident, shall report the incident immediately to the nearest Station Superintendent.

4. Duties of guard, driver and Train Ticket Examiner .- Any guard or driver or Train Ticket Examiner, who is on duty at the time of occurrence of untoward incident, shall,

- (i) immediately arrange for medical assistance to the injured passengers, and
- (ii) report the occurrence of such incident to the Supervisor in Form-I.

5. Duties of Supervisor .- On receipt of a report in Form-I, the Supervisor shall forward the same to the Divisional Railway Manager.

6. Duties of Station Superintendent .- The Station Superintendent, on receipt of an information about the occurrence of an untoward incident under rule 3, shall, -

- (i) make necessary entries to this effect in the station diary;
- (ii) arrange for medical assistance to the injured passengers;
- (iii) make out a brief report in respect of spot of the untoward incident and forward copies thereof to the Divisional Office, Zonal Railways, police and in-charge of the Force;
- (iv) carry out technical survey of the untoward incident himself or through his representative; and
- (v) depute his representative to assist the force to complete the process of investigation.

7. Conducting of investigation and submission of report by the Force .- (1) On receipt of information under rule 6, an officer of the Force, not below the rank of Inspector, shall carry out the investigation and shall, -

- (i) obtain copies of the inquest report, post mortem report and Jama Talashi report from the police investigating the incident;
- (ii) obtain copy of the technical survey carried out by the railway official nominated by the Station Superintendent;
- (iii) obtain information about the untoward incident in Form -2;
- (iv) record statement of additional witnesses, if so required;
- (v) collect any other evidence required by the circumstances of the case.

(2) The officer of the Force, on completion of the investigation, shall submit a report to the authorities specified under sub-rule(2) of rule 10.

8. Conducting of investigation and submission of report by the Police .- (1) The police on receipt of the report under clause (iii) of rule 6, shall immediately initiate investigation and prepare inquest report or Injury report in accordance with the procedure laid down in Criminal Procedure Code, 1973.

(2) After preparation of report, as mentioned in sub-rule(1), the police shall immediately give clearance certificate for movement of trains from the site of incident so that minimum delay is caused in restoration of train movement.

9. **The injured and the next of kin of the deceased passenger may submit evidence and assist police and Force.** - The injured and the next of kin of the deceased passengers may submit all the relevant evidence before the Police and assist the police and the Force to complete the investigation.

10. **Forwarding of investigation report by the police and the Force** - (1) The police on completion of the investigation, shall forward the report thereof to the Magistrate, as required under the Criminal Procedure Code, 1973.

(2) The officer of the Force shall forward the report prepared under sub-rule (2) of rule 7 to the Divisional Railway Manager and Divisional Security Commissioner of the Force.

11. **Action on the report by the Divisional Railway Manager** - (1) The Divisional Railway Manager, on receipt of the report, shall immediately examine the same.

(2) When, on examination, Divisional Railway Manager is satisfied that the investigation is complete, he shall pass an order accepting the said report.

(3) If the Divisional Railway Manager has reason to believe that some more inquiry is required in the matter, it shall refer the same back for investigation to the officer of the Force along with his observations for further investigation.

(4) On receipt of a reference under sub-rule (3), the officer of the Force shall investigate the matter further and submit the report immediately to the Divisional Railway Manager.

12. **Communication of order** - Final orders passed on the report by the Divisional Railway Manager shall be communicated to the Station Superintendent who shall maintain the records and make necessary entries in the Station Diary to this effect.

13. **Investigation report to be placed before Divisional Railway Manager.** - The investigation report along with comments of the Divisional Railway Manager thereon shall be placed before the Claims Tribunal by Railway Administration while filing written statement in the case in which compensation has been claimed on the basis of such untoward incident.

[No. 2001/TC-III/26/45/RC]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director/Public Grievances (Railway (Board)

Form-I
(See rule 4)

REPORT OF UNTOWARD INCIDENT

1. Kilometer at which untoward incident occurred :
2. Name of Driver of the train with Headquarter :
3. Name of Guard of the train with Headquarter :
4. Name of Train Ticket Examiner of train, if posted, with Headquarter :
5. Nature of the untoward incident
 - (a) accidental fall
 - (b) bomb blast
 - (c) rioting/shootout
 - (d) others
6. Time of occurrence :
7. Position of human body in relation to track :
8. Whether medical help was given to the injured :
9. Whether train stopped or not :
10. Condition of doors and occupation of coach :

Signature

Name and designation

Date :

Form-2
(See rule 7)

BRIEF PARTICULARS OF UNTOWARD INCIDENT

1. In cases of death :
 - (a) time and place the body was detected;
 - (b) position of the body in relation to the tracks;
 - (c) blood stains on ballast or engine, extent of the injuries and whether prima facie inflicted by a train or otherwise ;
 - (d) position of any clothing etc. found on or near the rails ;
 - (e) Name of informant, his parentage and address :
2. In case of accidental falling or other untoward incidents :
 - (a) kilometrage at which the passenger fell or person was knocked down :
 - (b) was the incident noticed by the Guard/Driver/TTE and the train stopped or was the alarm chain pulled to stop the train :
 - (c) was the train backed to the incident spot :
 - (d) how the injured or dead person was dealt with :
3. In case the passenger falling out:
 - (a) name, age, sex and address of the passenger, with the particulars of ticket, if any, held :
 - (b) if child, also give the name and address of the guardian at the time, and his relationship to the child :
 - (c) where was the person or child seated or standing at the time last seen by fellow passengers :
 - (d) owning railway, painted number, compartment number, type description and position of the carriage from the engine :
 - (e) condition of doors :
 - (f) officer of the Force on train :
 - (g) brief statement of the injured person containing cause of accident :
 - (h) name and signature of the passenger in whose presence the statement is recorded :
 - (i) in the case of a child, the name and signature of guardian :
 - (j) statement of co-passengers :
 - (k) type of injuries sustained by the injured i.e. temporary, permanent, partial or complete disablement :

Signature

Name and designation

Date :